महत्वपूर्ण / समयबद्ध / ईमेल

संख्या–1859 / नौ–7–2026–Comp. No 1654182

प्रेषक,

पी. गुरूप्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊः दिनांकः 17 अप्रैल, 2026**

विषयः–नगरीय निकायों की गौशालाओं में संरक्षित निराश्रित गोवंशों के भरण–पोषण के लिये चारे–भूसे हेतु अनुदान का प्रस्ताव / मॉग पत्र कान्हा गौशाला पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि शासनादेश संख्या–4230 / नौ–7–2025-com no 1921740, दिनांक 30.10.2025 द्वारा कान्हा गौशाला / पशु शेल्टर होम्स / कांजी हाउस में संरक्षित निराश्रित गोवंशों के भरण–पोषण हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए गोवंशों के भरण–पोषण हेतु नगरीय निकायों को दिये जाने वाले अनुदान के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, ताकि अनुदान प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं समयबद्ध बनाया जा सके। इस हेतु कान्हा गौशाला पोर्टल https://kanhagaushala.upsdc.gov.in/ का विकास किया गया है।

2– उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 30.10.2025 द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को वित्तीय वर्ष 2025–26 के द्वितीय छमाही से लागू कर दिया गया था किन्तु नगरीय निकायों द्वारा उक्त मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध उदासीनता बरती गयी एवं द्वितीय छमाही के अनुदान के प्रस्ताव / मॉग पत्र कान्हा गौशाला पोर्टल के माध्यम से न उपलब्ध कराकर ईमेल / डाक के माध्यम से प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये गये। केवल कुछ ही नगरीय निकायों द्वारा अपने प्रस्ताव कान्हा गौशाला पोर्टल पर अपलोड किये गये। नगरीय निकायों की उदासीनता के कारण मानक संचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत लागू पोर्टल की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025–26 की द्वितीय छमाही से लागू नहीं हो सकी एवं गोवंशों के लिए भरण–पोषण हेतु अनुदान में व्यवधान न होने देने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत शासन द्वारा अपवादस्वरूप पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार गोवंशों के भरण–पोषण हेतु अनुदान की धनराशि स्वीकृत करनी पड़ी।

3– वित्तीय वर्ष 2026–27 में उक्त शासनादेश दिनांक 30.10.2025 में विहित व्यवस्था के अनुसार ही कान्हा गौशाला पोर्टल के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। ईमेल/डाक के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि कोई निकाय शासनादेश में विहित व्यवस्था के अनुरूप गोवंशों के भरण–पोषण हेतु कान्हा गौशाला पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराता है तो वह निकाय गोवंशों के भरण–पोषण हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि भरण–पोषण के अभाव में गोवंशों के साथ कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित निकाय के उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

2– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश दिनांक 30.10.2025 द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कान्हा गौशाला पोर्टल का उपयोग करने एवं पोर्टल के माध्यम से अनुदान के प्रस्ताव/मॉग पत्र दिनांक 25.04.2026 से पूर्व प्रत्येक दशा में पोर्टल पर अपलोड करने हेतु समस्त नगरीय निकायों के साथ एक विडियो कान्फ्रेंस आहूत कर इस संबंध में अपने स्तर से कड़े निर्देश जारी करते हुए नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2026–27 के प्रस्ताव पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by GURU PRASAD PORALA Date: 16-04-2026 10:45:35

(पी॰ गुरूप्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2 समस्त नगर आयुक्त नगर निगम उत्तर प्रदेश।
3 समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उ0प्र0।
4 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by UDAI BHANU TRIPATHI Date: 17-04-2026 10:20:28

(उदयभानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।